कार्यालय, जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज

(जिला विधि प्रशाखा)

पत्रांक......................./जिला विधि,
[VIII-16/2007-13]
दिनांक 08.2013

फोन नं. :– 06456–222530, 222535
फैक्स नं. :– 06456–222626, 225480
ई–मेल :– dm-kishanganj.bih@nic.in

प्रेषक :–

आदित्य कुमार दास, भा.प्र.से.,
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

सेवा में,

अपर समाहर्त्ता, किशनगंज।
उप विकास आयुक्त–सह–
अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा, किशनगंज।
निदेशक, एन.ई.पी., किशनगंज।
निदेशक, डी.आर.डी.ए., किशनगंज।
अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज।
प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास प्रशाखा, किशनगंज।
जिला कल्याण पदाधिकारी, किशनगंज।
अधीक्षक, मंडल कारा, किशनगंज।
जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज।
जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज।
अधीक्षक, उत्पाद, किशनगंज।
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, किशनगंज जिला।
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा, किशनगंज जिला।
लोक अभियोजक/सरकारी वकील, किशनगंज।

विषय :– **किशनगंज जिलान्तर्गत माह अगस्त, 2013 में आयोजित "विधिक जागरुकता शिविर" के संबंध में।**

महाशय,

विषयान्तर्गत कार्यालय पत्रांक 202/जि.विधि, दिनांक 09.05.2013 का कृपया संदर्भ लिया जाय। विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज के पत्रांक 546–558, दिनांक 03.08.2013 द्वारा माह अगस्त, 2013 में निम्नानुसार **"विधिक जागरुकता शिविर"** आयोजन की सूचना प्राप्त है :–

क्र.	कार्यक्रम	स्थान	तिथि/समय
1	मनरेगा पर विधिक जागरुकता शिविर	व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज	11.08.2013 11.00 बजे पूर्वाहन्
2	लोगों के सामान्य अधिकार (संवैधानिक, कानूनी तथा मानवाधिकार) पर विधिक जागरुकता शिविर	व्यवहार न्यायालय परिसर, किशनगंज	18.08.2013 11.00 बजे पूर्वाहन्
3	दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्ली बारगेनिंग पर विधिक जागरुकता शिविर–सह–विशेष लोक अदालत	मंडल कारा, किशनगंज	25.08.2013 11.00 बजे पूर्वाहन्

अतः अनुरोध है कि उक्त निर्धारित कार्यक्रमानुसार विषयांकित विषय/विषयों पर निर्धारित तिथि को भाग लेने का कष्ट किया जाय।

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में इसका विस्तृत प्रचार–प्रसार करेंगे तथा मुखिया को भी एतद् विषयक सूचना अपने स्तर से देना सुनिश्चित करेंगे।

अपर समाहर्त्ता, किशनगंज उक्त कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु तदनुसार आवश्यक सभी कार्यवाहियाँ करते हुए अनुश्रवण भी करना सुनिश्चित करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज से अनुरोध है कि तद्नुसार आवश्यक कार्रवाई के साथ अपने स्तर से सभी थानाध्यक्षों को वृहत् प्रचारार्थ निदेशित करने का कष्ट करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह./–

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।

ज्ञापांक 426/जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 07.08.2013.

प्रतिलिपि :– विज्ञ अवर न्यायाधीश प्रथम–सह–सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज को उनके पत्रांक 546–558, दिनांक 03.08.2013 के क्रम में सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहत प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए सभी संबंधितों को मेल से भेजना सुनिश्चित करेंगें।

प्रतिलिपि :– वरीय उप समाहर्त्ता, जिला गोपनीय प्रशाखा, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला नजारत उप समाहर्त्ता, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक/अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(आदित्य कुमार दास)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता–सह–
उपाध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
किशनगंज।